स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (मध्य प्रदेश)

(192, एवीएन टॉवर, मेजनाइन फ्लोर, जोन-1 एमपी नगर, भोपाल)

E-mail:spdmpwb@gmail.com

क्रमांक 1884 /वि.बैं.परि./2021 भोपाल, दिनांक 18 /08 /2021

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:- "भूमि सुरक्षा अभियान" अंतर्गत महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन कराने एवं खसरे में स्वामित्व दर्ज कराने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 1073/1011/2019/38-2 भोपाल दिनांक 25/09/19 एवं कार्यालयीन पत्र क्र. 648/वि.बैं.परि./2019 दिनांक 16.10.19 ।

----00----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । आपके द्वारा महाविद्यालय की भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हुई है । जिसका वर्तमान प्रचलित खसरों को नेट से प्राप्त कर मिलान उपरांत सत्यापन हेतु आपकी ओर प्रेषित किया गया है । इंदौर संभाग एवं भोपाल संभाग की जानकारी का खसरों से मिलान उपरांत शीघ्र प्रेषित किया जावेगा ।

आपके द्वारा प्रेषित जानकारी में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार महाविद्यालय की भूमि की सीमांकन रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा आपेक्षित है ।

अतः आपके महाविद्यालय के स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराकर सीमांकन प्रतिवेदन मय फील्डबुक/ पंचनामा / नक्शा प्रेषित किया जाये । यदि महाविद्यालय की भूमि का पूर्व में सीमांकन कर मौके पर कब्जा एवं सीमा चिन्हांकित की जा चुकी है तथा महाविद्यालय अपने स्वामित्व / आधिपत्य की भूमि पर काबिज होकर बाउन्ड्री वाल या फेन्सिंग निर्माण कर चुके है, तब ऐसी स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जानकारी शीघ्र भेजी जावे । महाविद्यालय की भूमि की बाउन्ड्री वाल या फेन्सिंग की स्थिति भी स्पष्ट की जाये। महाविद्यालय की भूमि का एक नजरी नक्शा मय चतुरसीमा जिसमे पूर्व, पश्चिम,उत्तर,दक्षिण की स्थिति स्पष्ट करते हुए एवं महाविद्यालय की वर्तमान में उपलब्ध रिक्त भूमि की जानकारी भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(चन्द्रशेखर बालिम्बे)
आयुक्त / परियोजना संचालक
राज्य परियोजना संचालनालय

पृ.क्रमांक 1885 /वि.बैं.परि./2021 भोपाल, दिनांक 18/08/2021

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त / परियोजना संचालक
राज्य परियोजना संचालनालय